

कार्यालय- प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
पत्रांक 2171 /4-2, रुद्रपुर, दिनांक: 01.03.2023

फोन / फैक्स 25944-250060 ईमेल dfote-forest-uk@nlc.in

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अद्योहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में कैम्पा योजना अन्तर्गत तराई केन्द्रीय वन प्रभाग की पीपलपड़ाव रेंज अन्तर्गत दक्षिणी गदगदिया प्लॉट सं० 10 में सी०आर०बाबू० पद्धति द्वारा लैण्टाना उन्मूलन कार्य हेतु पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी अन्तर्गत समस्त वन प्रभागों में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से मोहरबंद निविदायें दिनांक 11.03.2023 को अपराह्न 05 बजे तक केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से आमंत्रित की जाती है। निविदा के साथ धरोहर धनराशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर की एन०एस०सी०/सी०डी०आर०/एफ०डी०आर० जो प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग के नाम निरूपित (Pledge) हो संलग्न करना अनिवार्य है निविदा प्रपत्र दिनांक 05.03.2023 तक, निर्धारित शुल्क जमा कर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक प्रभागीय कैम्प कार्यालय तिकोनियां हल्द्वानी से प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त प्राप्त निविदाओं को दिनांक 13.03.2023 को अपराह्न 3.00 बजे प्रभाग स्तरीय निविदा समिति द्वारा खोला जायेगा। निविदा खुलते समय निविदादाता चाहे तो स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रपत्र के साथ रुपये 100.00 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर जिस पर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर युक्त रुपया 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो, निविदा की शर्तों की मंजूरी के साथ लगाना अनिवार्य होगा। निविदा की शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय कार्यालय से अथवा विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in से प्राप्त की जा सकती हैं निविदादाता निम्नलिखित विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़कर व कार्य को मौके पर समझकर ही सीमित निविदा प्रस्तुत करें।

कार्य का विवरण

रेंज का नाम	क्षेत्र का नाम	हेक्टेयर	कार्य की अनुमानित लागत	धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की तिथि
पीपलपड़ाव	दक्षिणी गदगदिया प्लॉट सं० 10	83.05	पश्चिमी वृत्त की अनुसूचित दरों की अधिकतम दरों के अनुसार रु० 8217.00 प्रति है०	20000.00	500+ 18 प्रतिशत जी. एस.टी. सहित	आपूर्ति आदेश के दिनांक से 10 दिन के अन्दर

(विभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

पत्रांक 2171 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सम्पादक/ पत्रकार दैनिक जागरण, अमर उजाला एवं हिन्दुस्तान को इस अनुरोध के साथ कि प्रेषित कि आप उपरोक्त निविदा का प्रकाशन अपने समाचार पत्रों में न्यूनतम डी.ए.पी. दरों पर न्यूनतम स्पेश पर अतिशीघ्र प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा विज्ञापन के बिल का भुगतान हेतु बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
- वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।
- उप वन संरक्षक, आई०टी० सेल, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट www.forest.uk.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- उप प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
- मुख्य/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, लेखा लिपिक, भण्डार लिपिक तराई केन्द्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर।
- वन क्षेत्राधिकारी पीपलपड़ाव तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।
- प्रभागीय नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(विभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर।

वेदा के नियम व शर्तें निम्न प्रकार हैं:-

1. सशर्त निविदा एवं अपूर्ण भरी गयी निविदा मान्य नहीं होगी।
2. निविदा में प्रतिभाग हेतु केवल पश्चिमी वृत्त हल्द्वानी अन्तर्गत सभी वन प्रभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म अर्ह होंगे।
3. निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यदिवस में खोली जायेंगी।
4. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
5. निविदा स्वीकृति की सूचना भेजने के उपरांत निर्धारित अवधि के भीतर अनुबंध नहीं करने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
6. निविदा स्वीकृत ठेकेदार/फर्म द्वारा स्वयं ही कार्य किया जायेगा अन्य किसी फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
7. निविदा पंजीकृत डाक/कोरियर/स्पीड पोस्ट से ही स्वीकार की जायेगी।
8. डाक के बिलम्ब या अन्य कारण से निविदा प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. उपरोक्त कार्य सी0आर0बाबू0 पद्धति द्वारा किया जायेगा।
10. कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटी की एवं विभागीय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।
11. कार्य का निरीक्षण विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सूचना के भी किया जा सकता है।
12. कार्य का भुगतान किये गये कार्य की वास्तविक नपत/मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।
13. सफल निविदादाता को रुपया 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा। कार्यादेश मिलने के उपरांत कार्यादेश में उल्लेखित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
14. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड, जी0एस0टी0 नम्बर, बैंक गारंटी, एवं काली सूची में दर्ज न होने का प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत करने होंगे।
15. कार्यादेश प्राप्ति के 10 दिन के भीतर कार्य पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
16. कार्य के दौरान वन क्षेत्र में वन संपदा का दोहन नहीं होना चाहिए। अन्यथा कि स्थिति में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
17. निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खोलते समय उपस्थित रह सकते हैं।
18. अधोहस्ताक्षरी के पास बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
19. निविदा की दर यदि पश्चिमी वृत्त की अनुसूचित दरों से अत्यधिक न्यून प्राप्त होती है तो उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/III(2)/17-20 (समान्य)/2011 टी.सी. दिनांक 12 जून 2017 के अनुसार न्यून (below) दर पर कार्य स्वीकृत करने की दशा में अतिरिक्त परफार्मेंस गारन्टी (Additional performance security) देय होगी।

(वैभव कुमार सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभारा, रुद्रपुर।